124

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांकः R-6/(24)/93)6785

दिनांकः 21.08.1998

आ दे श

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक:22.8.97 को दृष्टिगत रखते हुए वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के तहत जमवारामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जिसकी अधिसूचना दिनांक: 31मई,1982 (प्रतिलिपि संलग्न) को जारी की गई, उसके संबंध में धारा 21 वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के तहत अभयारण्य क्षेत्र में भूमि अवाप्ति एवं अधिकार तय करने संबंधित कार्यवाई दिनांक: 22.8.98 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये है । वन विभाग द्वारा प्रेषित सूचना दिनांक: 13.10.97 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में जिला कलक्टर द्वारा क्रमांक: आर-6(24)/93/11438 दिनांक: 15.11.1997 को धारा 21 वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,72 के तहत उद्घोषणा की गई ।

धारा 21 वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के तहत जिन क्षेत्रों को उद्घोषित किया गया उनकी सीमाओं का विवरण निम्नप्रकार उद्घोषित किया गया है :-

उत्तर — वन सीमा लाइन वन खण्ड पहाडी रामगढ़ संख्या 68 गोडियाना सं. 72 राजस्व क्षेत्र ग्राम अनूपरा की उत्तरी सीमा, वन सीमा लाइन वन खण्ड गोडियाना सं. 72 'ए' राजस्व क्षेत्र ग्राम भीमावास की उत्तरी सीमा, वन सीमा लाइन वन खण्ड बामन वाडी सं. 63 पहाडी देवतला सं.69 'ए' व 69 मेन, कानीखोर सं.62 व डिगोता सं.61, समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम ढोडामीना भावगढ ,गोडियाना सामरेड कलां, सामेर खुर्द, रामपुरा,रायसर लूनेठा, बलोड, जैसिंहपुरा, चिलपिली, केला का बास, वन क्षेत्र उप वन मण्डल अलवर, वन मण्डल भरतपुर ।

पूर्व — वन सीमा लाईन वन खण्ड डिगोता, समीपवर्ती वन क्षेत्र उप वन मण्डल अलवर, वन मण्डल भरतपुर व राजस्व क्षेत्र भयापुरा ।

दक्षिण — वन सीमा लाइन वन खण्ड डिगोता वन क्षेत्र के मध्य उत्तरी राजस्व क्षेत्र ग्राम साभावाला व वन सीमा लाईन वन खण्ड डिगोता सं.61 व कानीखोर सं.62 व राजस्व क्षेत्र ग्राम मावली व खडब की उत्तरी सीमा व वन सीमा लाइन वन खण्ड बामनवाड़ी सं.63 बावड की पहाडी सं. 74 व पश्चिमी राजस्व क्षेत्र ग्राम रवला व वन सीमा लाइन वन खण्ड जमवामाता माहोढा सं.64 समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम राम्यावाला,नीमला, श्रीरामगोपालपुरा, किलतपुरी, सिंहपुरी,राम्यावाला, थली,सानकोटडा,पातलवास, भावनी, दातली-खडब कोरढ, रामपुरा-अस्थल, माडूया,खवा-पालडी, खुर्द खरखड़ा, पालडी कलां, गोव, सरजोली, बूछ मानोता झोल डोडा ।

पश्चिम — वन सीमा लाइन वन खण्ड जमवारामा माहोढा सं.64 राजस्व क्षेत्र बंध जमुवारामगढ वन खण्ड पहाडी रामगढ सं.68 समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र व वन गोच लाइन्स ग्राम पापड-रामपुरा जमवारामगढ- तरपीत भावाटन, भुगलपुरया, कालियाना, पाली,बिसोरी-नागल तुलसीदास फाढाजल कारी, बासना ।

उक्त उद्घोषणा के तहत 2 महिने के भीतर लिखित क्लेम जिला कलक्टर,जयपुर को प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया । उक्त उद्घोषणा को जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में सभी सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया गया है । जिला कलक्टर द्वारा जारी दिनांक: 15.11.97 की उद्घोषणा के फलस्वरुप दो माह के निर्धारित समय में कुल 481 क्लेम्स/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र विभिन्न संस्थाओ/व्यक्तियों से प्राप्त हुए । उद्घोषणा के फलस्वरुप प्राप्त क्लेम्स/आपत्तियो के संबंध में जिला कलक्टर द्वारा जांच सम्पादित की गई जिसमें तहसील व वन विभाग से आवश्यक रिकार्ड प्राप्त किया गया ।

12

तहसीलदार, जमवारामगढ से विभिन्न बिन्दुओं पर जांच करवाई गई। जिला कलक्टर द्वारा जमवारामगढ अभयारण्य क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया। प्राप्त क्लेम्स/ आपत्तियां करने वाली संस्था/ व्यक्तियों से विस्तृत जानकारी एवं विचारविमर्श किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 24 के तहत अधिकारों को तय करने के संबंध में मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर से बैठक आयोजित कर परामर्श किया गया। वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 24 के तहत जिला कलक्टर द्वारा मुख्य वन संरक्षक से यह स्पष्ट कराया गया कि क्या धारा 24 (2बी) के तहत वन विभाग प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में आने वाली निजी स्वामित्व की भूमि को अधिग्रहण करने का मानस रखता है अथवा नहीं। मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: एफ() (विविध/मुवजीप्र/98/120/सी दिनांक 21.7.98 एवं उनसे दिनांक 14.8.98 को किये गये परामर्श के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि जमवारामगढ अभयारण्य के क्षेत्र के अलावा वह भूमि जो निजी स्वामित्व की भूमि है उसको अधिग्रहण करने का मानस नहीं है। परामर्श के दौरान मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने यह भी स्पष्ट किया कि सघन वन के बीच की निजी स्वामित्व की भूमि हो तो ऐसी भूमि को वन विभाग अवाप्त करने के बारे में विचार कर सकता है परन्तु अधिकार तय करने के लिये जो एक वर्ष का समय प्रदान किया गया है जो 22.8.98 तक समाप्त हो रहा है इस समय तक वन विभाग का किसी भी निजी भूमि को अवाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है।

जमवारामगढ वन्य अभयारण्य क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुत क्लेम्स/ आपत्तियां करने वाली संस्था/ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों का अध्ययन करने पर पाया गया कि उन्होने मुख्य रूप से निम्न प्रकार की आपत्तियों व अधिकारों को जारी रखने हेतु प्रार्थना की है।

(1) जमवारामगढ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में रास्तों व सड़कों को पूर्ववत व चालू रखा जाये।

(2) टेरिटोरियल वाटर रिसोर्ट को जमवारामगढ बांध से अलग रखा जाये।

(3) ग्राम पंचायत सानकोटड़ा के खसरा नं. 375 के उत्तर पूर्वी हिस्से को मुक्त रखा जाये।

(4) अभयारण्य क्षेत्र में स्थित खनन क्षेत्र को सैंक्चुरी सीमा से मुक्त रखा जाये अथवा खानों को यथावत कार्य करते रहने के अधिकार दिये जायें।

(5) क्षेत्र में वे धार्मिक स्थल, मेलों आदि के अधिकार यथावत रखे जायें।

(6) वन खण्ड डिगोता सं.61 को वन सीमा से बाहर रखा जाये।

(7) ग्राम पंचायत नीमला, थली, सानकोटडा, भावनी, मंहगी, रायसर, सामरेड, बलौड, टोडमीना, बासना, इन्द्रगढ, जमवारामगढ, पापड़, मानोता, बूज, नेवर, खारखड़ा, खवारानी, रायपुर को वन सीमा से बाहर रखा जाये।

।8। पशुओं एवं मवेशियों एवं चराई के अधिकार यथावत रखें जायें।

।9। खनन क्षेत्र को सैंक्चुरी क्षेत्र से मुक्त रखा जाये।

।10। ऐसी खानें जो लीज पर दी गई है उन्हें भी वन सीमा से बाहर रखा जाये।

।11। सिंचाई के जलाशयों व अन्य जलाशयों को वन क्षेत्र से अलग रखा जाये अथवा अधिकार जारी रखें जाये।

।12। सिवाय चक भूमि के लिये अधिकार यथावत रखें जाये।

।13। खातेदारी के अधिकार को वन क्षेत्र से बाहर रखा जाये। अथवा खातेदार को खरीद व बेचान के अधिकार यथावत रखे जायें।

।14। आवासीय सम्पत्ति को वन क्षेत्र से बाहर रखा जाये।

।15। कृषि व अन्य आवासीय सम्पत्तियों को खरीद व बेचान करने के अधिकार बरकरार रखे जायें।

।16। परिवहन के अधिकार यथावत रखे जायें ।

।17। राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्व व्यवस्था जारी रखी जाये व उसका उपयोग व निर्माण जारी रखा जाये।

।18। रिहायशी भूखण्डों को सैंक्चुरी क्षेत्र से बाहर रखा जाये।

।19। आबादी व कृषि भूमि स्थित कुओं आदि क्षेत्र को सैंक्चुरी क्षेत्र से बाहर रखा जाये।

।20। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ।।ए को वन क्षेत्र से बाहर रखा जाये।

।21। खनन कार्य होने के कारण काफी संख्या में वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार प्राप्त होते है अतः ऐसे व्यक्ति बेरोजगार न हों इसलिये खनन कार्य को वन क्षेत्र से बाहर रखा जाये अथवा उसको जारी रखा जाये।

उपरोक्त के अलावा आपत्ति/ क्लेम करने वाले संस्थाओं/ व्यक्तियों से विस्तृत विचार विमर्श करने पर निम्न बिन्दुओं पर भी आपत्तियां व अधिकार दिये जाने की प्रार्थना की गई:

1। इस क्षेत्र में कई सरकारी व सार्वजनिक भवन आदि है उन्हें वन क्षेत्र से मुक्त रखा जाये अथवा उन्हें यथावत रखा जाये।

2। वन क्षेत्र में जमीन पर पडी सूखी लकडियों को उठाने के अधिकार यथावत रखे जायें।

3। खनन कार्य की वजह से कई ट्रकों, बसों, ट्रेक्टरों का आना जाना होता है अतः इस कार्य को यथावत रखा जाये।

4। सैंक्चुरी घोषित होने के बाद वन क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों व मन्दिरों में यथावत निःशुल्क दर्शन करने के अधिकार बरकरार रखे जायें।

5) वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अपने स्वामित्व की भूमि पर नियमानुसार निर्माण करने का अधिकार यथावत रखा जाये।

6) सत्संग या पारिवारिक उत्सवों के दौरान समारोह आयोजित करने का अधिकार यथावत रखा जाये।

7) अपने स्वामित्व की भूमि के लिये नये कुए खोदने एवं सिंचाई के अन्य साधनों को निर्मित करने का अधिकार बरकरार रखा जाये।

8) चिकित्सालय, विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक कार्यालयों के कार्य को यथावत रखा जाये।

9) अभयारण्य क्षेत्र खनन के लिये उपयुक्त क्षेत्र है इसलिये वर्तमान खनन कार्य को चलते रहने के अलावा नये खनन की लीज भी जारी करते रहने का अधिकार यथावत रखा जाये।

10) आबादी क्षेत्र में भूमि की कमी होने पर आबादी विस्तार के अधिकार यथावत रखे जायें।

11) वन क्षेत्र से पत्थर, बजरी निकालने का अधिकार यथावत रखा जाये।

12) वन्य जीवों से जानमाल की सुरक्षा खतरे में पड जायेगी अतः इस बिन्दु के संबंध में आवश्यक अधिकार प्रदत्त किये जायें।

13) क्षेत्र के विकास के समस्त कार्य एवं पंचायती राज संस्था द्वारा नियमों, अधिनियमों के तहत प्रदत्त अधिकारों का यथावत प्रयोग किये जाने का अधिकार रखा जाये।

14) पेड़ काटने का अधिकार नियमानुसार जारी रखा जाये।

1 जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त क्लेम्स/आपत्तियों का अध्ययन करने पर ऐसी संस्थाओ/व्यक्तियों से किये गये विचार-विमर्श एवं जांच के आधार पर निम्न तथ्य सामने आये:

उद्घोषित अभ्यारण्य क्षेत्र में 74 राजस्व गांव एवं 152 ढाणियों स्थित है जिनमें 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 65000 की जनसंख्या रह रही है एवं 1998 की बी.पी.एल.सर्वे के दौरान 10169 परिवारो की जनसंख्या रिकार्ड की गई है । इस क्षेत्र में वर्ष 1995 की गणना के आधार पर पशुसंख्या लगभग 80000 है ।

उक्त आंकडो से एवं क्षेत्र का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में काफी संख्या में आबादी बसी हुई है जिनमें काफी संख्या में परिवार निवास कर रहे है । इन परिवारो की मुख्य जीविकापार्जन कृषि एवं पशुपालन व खानों के मजदूरो के रुप में आधारित है । इन परिवारों की निजी स्वामित्व की कृषि भूमि है जिस पर नियमित रुप से काश्त करके जीविकोपार्जन करते है ।

128

साथ ही अपने पशु व मवेशियों को चरागाह एवं वन विभाग से अनुमति लेकर वन क्षेत्र में चराई का कार्य करते है व पशुपालन से अपनी जीविकोपार्जन करत है । ये परिवार गांवो में स्थित आबादी क्षेत्र एवं ढाणियों में रह रहे है और इनमें से काफी परिवारो के कच्चे व पक्के मकान निर्मित किये हुए है अभ्यारण्य क्षेत्र में गांव में पक्की व कच्ची सड़के बनी हुई है,जो गांवो को आपस में जोड़ती है । इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राज मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास का कार्य भी चल रहा है । अभ्यारण्य क्षेत्र में लगभग 49000 बीघा निजी स्वामित्व की कृषि भूमि है और इनकी कृषि भूमि में रिहायशी मकान, कुएं बाडे आदि निर्मित है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में लगभग 16713 बीघा सिवायचक एवं लगभग 9723 बीघा चरागाह भूमि स्थित है ।

प्रस्तावित अभ्यारण्य क्षेत्र की चरागाह भूमि जिसमें ग्रामवासी पशु चराते है और काफी संख्या में खनन क्षेत्र होने के कारण खनन कार्य से राज्य सरकार को आय भी होती है और क्षेत्र की लगभग 20 से 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रुपसे रोजगार मिलता है ।

ii उद्घोषित अभ्यारण्य क्षेत्र के संदर्भ में विभिन्न स्थलो एवं खनन आदि उद्योगो के किये गये मौका निरीक्षणो के आधार पर उपरोक्त वर्णित आपत्तियों के प्रस्तुतकर्ताओ को सामान्यतः 5 बडे वर्ग समूहो(क्लस्टर) में विभाजित किया जा सकता है:-

1.	खान मालिको/प्रतिनिधियो द्वारा उठाई गई आपत्तियां	92
2.	क्षेत्रीय व्यक्तिशः,काश्तकार द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां	220
3.	क्षेत्रीय लोगो द्वारा सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत आपत्तियां	119
4.	जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां	26
5.	घोषित अभ्यारण्य क्षेत्रान्तर्गत नही आने वाले निवासियो द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां	24
	कुल योग:	481

iii वर्ष 1982 में प्रस्तावित जमवारामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की तात्कालिक एवं वर्तमान स्थिति में भारी परिवर्तन हो चुके है । इन परिवर्तनो पर तत्समय से कोई पाबन्दी नही लगाई गई थी जिसके फलस्वरुप बडे पैमाने पर कृषि भूमि की खरीद फरोख्त, आबादी विस्तार,

129

सड़क निर्माण खानों के लिये लीज आवंटन, राजकीय भूमि(सिवायचक एवं चरागाह) का आवंटन, विभिन्न राजकीय संस्थाओं एवं कार्यालयो व धार्मिक स्थलो की स्थापना होती रही है ।

वर्तमान में मार्बल, सोप स्टोन, लाईम स्टोन (चूना पत्थर) सिलिका सैण्ड, आयरन ओर, चेजा पत्थर आदि खनिजों का खनन कार्य बडे पैमाने पर चालू है। लगभग 200 छोटी बडी खानें चल रही है उक्त अभयारण्य क्षेत्र की घोषणा के उपरान्त ही अधिकांश खानों की स्वीकृतियां जारी हुई है। इससे पूर्व वर्ष 1936 से भी कई बडी खानें क्षेत्र में संचालित है। खनन कार्य में स्थानीय क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। खनन स्थल पर खनन कार्य के लिये प्रयुक्त बडी बडी मशीनें, उपकरण एवं यन्त्र स्थापित है। 92 खान मालिकों/ प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की है। भूमि पर हो रहे खनन कार्य से मौके पर बडी खानें 80 मीटर गहरी खुदाई में चालू हैं एवं जिनका मलबा भी आसपास बिखरा हुआ है। यह खनन क्षेत्र न तो काबिल काश्त है और न ही जंगल/ वृक्षारोपण वन्य जीव सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है। इसके अलावा खान विभाग द्वारा एक बहुत बडे क्षेत्र को मेजर माईनरल ऐरिया घोषित किया जा चुका है एवं माईनिंग लीज जारी की जा चुकी है।

iv सड़क एवं रास्ते : प्रस्तावित वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को आपस में कच्ची एवं पक्की सडकों से कृषि विपणन बोर्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति द्वारा वर्ष 1982 के बाद जोडा गया है। इनका उपयोग आवागमन एवं यातायात के लिये हो रहा है। इस क्षेत्र में सडकों के निर्माण एवं रखरखाव के लिये राज्य सरकार द्वारा भारी राशि का उपयोग किया गया है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज रास्तों के अलावा भी अन्य सैंकडों रास्ते वर्तमान में मौके पर चालू है जो एक गांव को दूसरे गांव एवं काश्तकारों को खेतों पर जाने के लिये खुले हुए है। इनमें से कई कच्चे रास्तो पर या तो पक्की सडक का निर्माण कार्य चालू है या प्रस्तावित है । इसी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 एवं 11 को जोडने वाले बाईपास का कार्य निर्माणाधीन है।

a2

V खातेदारी भूमि : प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य मे लगभग 15 हजार हैक्टर भूमि खातेदारी भूमि के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे वर्तमान मे खातेदारी दर्ज है। खातेदारी भूमि मे बड़े पैमाने पर रिहायशी मकान, कुऐ,बाड़े, हरे वृक्ष लगे हुए है। इस क्षेत्र के काश्तकारो की मुख्य आजीविका कृषि कार्य एवं पशुपालन है।

VI प्रस्तावित अभ्यारण्य क्षेत्र मे सिवाय चक, चरागाह एवं अन्य सरकारी भूमि अवस्थित है। यह भूमियां क्षेत्रीय ग्रामवासियों द्वारा ईंधन, पशु चराई, सार्वजनिक उपयोग, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक पैदावार, तालाब, तलाई, जल स्त्रोत एवं सामाजिक वानिकी कार्यो के लिये उपभोग मे लाई जा रही है। इन राजकीय भूमियों के उपयोग एवं उपभोग किये बिना ग्राम्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना असंभव प्रतीत होता है । इन राजकीय भूमियों मे से वर्ष 82 से ही विभिन्न कार्यो यथा (गैर खातेदारी, खातेदारी भूमि) कृषि कार्य, आबादी विस्तार, राजकीय कार्यालयो,भवनो एवं सुविधाओ तथा वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों तथा संस्थाओं, निजी कूप आदि के उपयोग के लिए आवंटन एवं नियमन किया गया है ।

vii धार्मिक स्थल: प्रस्तावित अभ्यारण्य क्षेत्र मे लगभग 300 छोटे-बड़े धार्मिक स्थल स्थित है जिनसे लोगों की धार्मि आस्थाऐं जुड़ी हुई है । इन सभी धार्मिक स्थलों एवं इनके अधिकार क्षेत्र की वर्तमान मे उपभोग/उपयोग मे ली जा रही कृषि एवं अन्य भूमि,भवन,जलस्त्रोत आदि को भी प्रस्तावित क्षेत्र से पृथक रखा जाना उचित होगा ।

viii बांध-तालाब : अभ्यारण्य क्षेत्र मे छोटे-बड़े लगभग 90 बांध-तालाब तलाइ,ऐनीकट आदि अवस्थित है जिनका उपयोग क्षेत्रीय ग्रामवासियो द्वारा सिंचाई, पशुओं को पानी पिलाने आदि के कार्य मे किया जाता है । इन्ही जल स्त्रोतो से क्षेत्रीय भूमि के कुओ मे जल स्तर ऊँचा बना रहता है । जमवारामगढ़ बांध भी उपरोक्त अभ्यारण्य क्षेत्र मे आता है जो जयपुर शहर चारदीवारी मे पेयजल का मुख्य स्त्रोत है । इन बांधो एवं तालाबो,ऐनीकट एवं तलाईयो का निर्माण बड़ी सरकारी राशि से हुआ है और ये भू-जल संरक्षण भूमि कटाव से रक्षा,जल संग्रहण एवं कृषि उत्पादन बढ़ोतरी के उपयोगी साधन है । ग्राम जारुण्डा एवं जमवारामगढ़ बांध मे मत्स्य उत्पादन भी होता है ।

(21)

ix) पंचायत अधिनियम एवं विभिन्न कानूनो द्वारा ग्राम पंचायतों/ पंचायत समिति को प्राप्त शक्तियां: प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में कुल 20 ग्राम पंचायतों का अधिकांश भाग सम्मिलित है। ग्राम पंचायतों को पंचायत अधिनियम एवं विभिन्न अन्य कानूनों द्वारा विविध शक्तियां यथा आबादी भूमि परिवर्तन प्रस्तावित करना, आबादी भूमि का आवंटन, चरागाह भूमि, खातेदारी भूमि के नामान्तरकरण, रख रखाव एवं चरागाह राजस्व कर की प्राप्ति, क्षेत्रीय विकास के स्वीकृत निर्माण कार्योंके संचालन, कच्चे रास्तों पर सड़क निर्माण, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रखारखाव आदि के अधिकार प्राप्त है। समस्त क्षेत्रीय ग्रामवासियों को दैनिक क्रियाकलापों में भी ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है।

x) खातेदारी भूमि का बेचान : खातेदारों द्वारा अपनी जरूरत के अनुसार समय समय पर अपनी भूमि का बेचान करते रहते है। यह हस्तान्तरण रजिस्ट्री विक्रय पत्र के अलावा सेल इकरारनामा द्वारा भी किया जाता है। वर्ष 1982 के बाद अभ्यारण्य क्षेत्र से प्रभावित गांवों में लगभग 4178 बेचान पत्र केवल रजिस्ट्री विकय पत्र द्वारा हस्तान्तरण हुआ है। जिनका इन्द्राज भी राजस्व रेकार्ड में हुआ है।

xi) भूमि संपरिवर्तन : प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में आने वाली खातेदारी भूमि को व सिवाय चक, चरागाह भूमि को काश्तकारों द्वारा खेती के कार्य के अलावा अन्य उपयोग में लेने हेतु खातेदारी भूमि को व अन्य भूमि का उपयोग संपरिवर्तन कराने के लिये विभिन्न नियम बने हुए है। इन नियमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित संपरिवर्तन नियम (1) ग्रामीण भूमि अधिनियम नियम,1960 (2) शहरी ग्रामीण नियम, 1982 पैट्रोल पम्प, ईट भट्टा कच्चे उद्योग परिवर्तन नियम इन नियमों के तहत 1982 की अधिसूचना के बाद में विभिन्न उपयोग हेतु जैसे आबादी, वाणिज्यिक, औद्योगिक,पैट्रोल पम्प, ईट भट्टा आदि में उपयोग हेतु खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन किया गया है। राजकीय भूमि जैसे सिवाय चक, चरागाह आदि को भी विभिन्न सार्वजनिक उपयोग हेतु संपरिवर्तन कर आवंटन किया गया है जैसे - स्कूल भवन, अस्पताल, सहकारी समिति, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन आदि के उपयोग हेतु आवंटन किया गया है।

132

xii) श्मसान व कब्रिस्तान : प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में प्रत्येक गांव व ढाणियों में श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थित है। इनमें से बहुत से ऐसे श्मसान एवं कब्रिस्तान है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

xiii) सार्वजनिक उपयोग के भवन एवं स्थल : प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में सिवाय चक व चरागाह भूमि जो सार्वजनिक मेले आदि के उपयोग में ली जाती रही है।

xiv) सार्वजनिक जल स्त्रोत व जलदाय योजनाएं : सार्वजनिक जल स्त्रोत बांध व तालाबों के अलावा प्रत्येक गांवमें तालाब जिनका ग्राम पंचायत द्वारा रख रखाव होता है। इनमें हैण्डपम्प, जी.एल.आर. जलदाय टंकियां एवं पानी की नल योजना जिनका संचालन जलदाय विभाग व ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। ये सभी योजनाएं लगभग 1982 की उद्घोषणा के बाद में विकसित हुई है।

xv) विद्युत : अभयारण्य क्षेत्र में वर्तमान में सभी राजस्व ग्राम विद्युतीकृत है एवं सभी ग्राम 1982 की उद्घोषणा के बाद विद्युतीकृत हुए है। विद्युतीकरण की प्रक्रिया में विद्युत विभाग की विद्युत लाईन के सिंगल पोल, डी.पी. ट्रांसफार्मर, जी.एस.आर. आदि का निर्माण किया गया है।

xvi) भूमि अवाप्ति : सार्वजनिक उपयोग व विकास कार्य हेतु खातेदारी भूमि का राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1963 के तहत अवाप्ति करने का प्रावधान है। वन्य जीव अभयारण्य में मनोहरपुर,दौसा बाईपास पर वर्तमान अवाप्ति की कार्रवाई चल रही है जो 1982 की उद्घोषणा के बाद प्रारम्भ हुई है।

xvii) शिक्षण संस्थायें एवं राजकीय कार्यालय : प्रस्तावित अभयारण्य में लगभग 140 शिक्षण संस्थाएं व 31 राजकीय कार्यालय है जो पक्के भवनों में चल रहे है इनमें से काफी शिक्षण संस्थाएं व कार्यालय 1982 की उद्घोषणा के बाद ही अस्तित्व में आये है।

xviii) उद्योग : प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में लगभग 20 ग्राम पंचायतों में गलीचा उद्योग, नगीना उद्योग, कली भटटा उद्योग, चिप्स मार्बल पाउडर उद्योग आदि

RL

133

घरेलू व छोटे उद्योग चल रहे है । ये उद्योग 1982 की उद्घोषणा के बाद में शुरु हुए है ।

xix) पर्यटनः राजस्थान ट्यूरिज्म विभाग द्वारा विभाग द्वारा रामगढ़ बांध पर पर्यटको की सुविधा हेतु लोजिंग व बोर्डिंग हेतु झोपडियां बनी हुई है । रामगढ़ बांध में नोक बिहार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एवं भविष्य मे इस क्षेत्र में पयर्टन उद्योग का विकास होगा ।

xx) टेलिफोन व दूरसंचार : क्षेत्र के विकास हेतु दूर संचार एवं टेलीफोन तन्त्र का विकास किया गया है जिसमें टेलीफोन के खम्भें, टेलीफोन एक्सचेंज ग्रामीण टेलीफोन बूथ आदि की स्थापना की गई है एवं इसी क्षेत्र में माईक्रोवेव टावर आदि की स्थापना की गई है । दूर संचार के विकास में क्षेत्रीय समस्त प्रकार की भूमि जैसे वन,चरागाह,सिवायचक,खातेदारी आदि का उपयोग किया गया है

xxi) विकास कार्य : क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ के तहत विकास कार्य निरन्तर करवाये जा रहे है । ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायते पंचायत समिति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, सिंचाई विभाग आदि द्वारा विकास कार्य किये जा रहे है ।

xxii) क्षेत्रीय जन साधारण की आजीविका : इस क्षेत्र के लोगो की आजीविका का साधन कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग, पशुपालन, खान मजदूरी एवं छोटे- छोटे कुटीर उद्योग है ।

xxiii) क्षेत्रीय काश्तकारो की कृषि एवं जानमाल की वन्य जीवो से सुरक्षाः प्रस्तावित क्षेत्र के निवासियो द्वारा आये दिन खडी फसल को जंगली जानवारों यथा सुअर, नीलगाय,रोजडे द्वारा नष्ट करने की शिकायत मिलती रही है ।

22

उप वन संरक्षक, मिश्रित वृक्षारोपण योजना, जयपुर (पश्चिम) ने अपने पत्र दिनांक: 13.10.97 में यह उल्लेख किया है कि वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 की धारा 66(4) को दृष्टिगत रखते हुए जमवारामगढ़ अभयारण्य के ऐसे क्षेत्र को जो वर्ष 1961 में राजस्थान वन्य जीव अधिनियम,1953 के तहत पहले से ही 'आरक्षित वन' घोषित किया जा चुका है । इन क्षेत्रों को सेंचुरी मानते हुए ऐसे वन क्षेत्रों के अधिकार तय नहीं किये जाने है । बल्कि घोषित किये गये आरक्षित वन क्षेत्र जो वर्ष 1961 की अधिसूचना के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र से अलग है । ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जिला कलक्टर को अधिकार तय करने है । वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन,1972, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट,1953 एवं इण्डियन फोरेस्ट एक्ट,1927 का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 की धारा 66 (4) में ऐसे आरक्षित वन को सेंक्चुरी माना जाना है जो इण्डियन फोरेस्ट एक्ट,1927 के तहत घोषित हो । राजस्थान फोरेस्ट एक्ट,1953 के तहत इस क्षेत्र में वर्ष 1961 में घोषित किये गये आरक्षित वन वास्तविकता में इण्डियन फोरेस्ट एक्ट,1927 के तहत घोषित नहीं है बल्कि राजस्थान फोरेस्ट एक्ट,1953 के तहत घोषित है । अतः यह बिन्दु विचारणीय है । अतः क्या जिला कलक्टर को दिनांक: 31.5.82 एवं 15.11.97 की उद्घोषणा के तहत उक्त समस्त प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र के अधिकार तय करने है अथवा वर्ष 1961 की अधिसूचना के तहत 'आरक्षित वन' क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र के अधिकारो को तय करना है । इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से दिनांक: 14.8.98 को हुए परामर्श के दौरान इस वैधानिक बिन्दु को स्पष्ट करने को कहा गया जिस पर मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने अतिरिक्त महानिरीक्षक,वन, भारत सरकार, नई दिल्ली को इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण करने व मार्गदर्शन देने हेतु पत्र दिनांक: 18.8.98 प्रेषित किया गया । इस विचारणीय बिन्दु पर मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अपने पत्र क्रमांक: एफ() () सीडब्लूएलडब्लु/एमआईएस/141/सी दिनांक:19.8.98 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि राजस्थान फोरेस्ट एक्ट,1953 के तहत वर्ष 1961 में जारी की गई अधिसूचना के तहत जो क्षेत्र 'आरक्षित वन' क्षेत्र घोषित किया जा चुका है उस क्षेत्र के संबंध में जिला कलक्टर को इस प्रकरण में अधिकार तय नहीं किये जाने है ।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के फलस्वरुप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक: 22.8.97 एवं वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के तहत जिस क्षेत्र में अधिकारों को तय किया जा रहा है उसका **'वर्णित क्षेत्र'** निम्नप्रकार है:-

(1) वर्णित क्षेत्र -

वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 की धारा 18 के तहत जारी की गई अधिसूचना दिनांक: 31.5.82 एवं धारा 21 के तहत दिनांक:15.11.97 की उद्घोषणा में अंकित क्षेत्र में से राजस्थान फोरेस्ट एक्ट,1953 के तहत वर्ष 1961 की अधिसूचना के तहत घोषित 'आरक्षित वन' क्षेत्र को हटाते हुए शेष क्षेत्र को **"वर्णित क्षेत्र"** माना जाता है ।

९८

135

(2) संदर्भ तिथि -

उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के लिए अधिकारों को तय करने के लिए धारा 21 वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के तहत जारी की गई उद्घोषणा दिनांक: 15.11.97 को संदर्भ तिथि तय की जाती है ।

(3) तय किये गये अधिकारों का विवरण-

अधिकारों के संबंध में सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्णित क्षेत्र को अन्तिम रुपसे सेंक्चुरी घोषित होने के फलस्वरुप इन अधिकारों का प्रयोग वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के अंतर्गत रहते हुए प्रयोग किया जा सकेगा । इसका तात्पर्य यह है कि निम्नांकित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट की किसी भी धारा का उल्लघंन नहीं किया जा सकेगा ।

वर्णित क्षेत्र में भारी आबादी व रिहायशी एवं आबादी क्षेत्र में रहने वाले बहुसंख्यक लोगो व जन-जीवन की जीविकोपार्जन व अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एवं उद्घोषणा के फलस्वरुप प्राप्त हुए क्लेम्स/आपत्तियों एवं विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त हुए अन्य आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए एवं तत्पश्चात उनकी जांच व मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से हुए विचार-विमर्श के आधार पर यह आदेश किये जाते है कि वर्णित क्षेत्र में निम्नानुसार अधिकार तय किये जाते है:-

1) वर्णित क्षेत्र में समस्त राजस्व भूमि के लिए जिसमें राजकीय भूमि निजी स्वामित्व की भूमि शामिल है, उनमें राजस्थान टीनेन्सी एक्ट,1955 एवं राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट,1956 के सभी प्रावधान यथावत लागू रहते हुए उनके तहत प्रदत्त अधिकार यथावत रहेगें । इसके अतिरिक्त वर्णित क्षेत्र की ऐसी भूमि पर वर्तमान में प्रचलित राजस्व के समस्त अधिनियमो, व अन्य कानून यथावत रहेगें किन्तु किसी भी प्रकार की भूमि के व्यवसायिक,औद्योगिक एवं व्यापारिक खरीद-फरोख्त, संपरिवर्तन, रुपान्तरण से पूर्व वन विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी । इसी प्रकार भू-संपरिवर्तन नियम के तहत वर्णित क्षेत्र में वाणिज्यिक, औद्योगिक, पेट्रोलपंप व ईंट भट्टा के लिए भू-संपरिवर्तन करते समय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा ।

राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजकीय भूमि जिसमें सिवाय चक व चरागाह भूमि शामिल है तथा निजी खातेदारी की भूमि में कुएं,बाडे, वृक्ष, रिहायशी मकानों के वर्तमान अधिकारों में कोई परिवर्तन नही आयेगा और वर्णित क्षेत्र में सिवाय चक व चरागाह व अन्य राजस्व व निजी कृषि भूमि का उपयोग इन राजकीय कानूनो के अनुसार ग्रामवासी व सरकार यथावत करती रहेगी और इन कानूनो से

22

उत्पन्न मूलभूत सुविधाएं व अधिकार यथावत बने रहेंगें

2) सड़क व रास्ते:

संदर्भ तिथि को वर्णित क्षेत्र में जितने भी राज मार्ग, छोटी-बड़ी व कच्ची पक्की सड़के है, वे यथावत रहेगी और इन सड़को के प्रयोग के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेंगें । राजकीय राशि से निर्माणाधीन सड़को का कार्य भी पूर्ण किया जा सकेगा । वर्णित क्षेत्र में राजकीय राशि से भविष्य में निर्मित होने वाली सड़को का भी निर्माण किया जा सकेगा । जो रास्ते राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अथवा जो रास्ते अधिकार के रुप में संदर्भ तिथि को चालू है वे रास्ते यथावत चालू रहेंगें व उनके प्रयोग के अधिकार यथावत रहेंगें ।

3) खनन कार्य:

वर्णित क्षेत्र में जिन खानों को राज्य सरकार खनिज विभाग द्वारा खनिज पट्टे जारी किये गये है और उनकी लीज अवधि समाप्त नही हुई है ऐसी सभी खानों का कार्य यथावत जारी रखने के अधिकारी रहेंगें । इन खनिज पट्टो की अवधि समाप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार खनिज विभाग अपने अधिकारो के तहत नियमानुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा । एतद्द्वारा यदि खनन विभाग नई खानो के पट्टो को देने पर विचार करता है तो प्रचलित नियमों के तहत वर्णित क्षेत्र में खनन पट्टे देने का अधिकार रखेगें । जिन खानों में अनाधिकृत रुपसे खनन कार्य किया जा रहा है उन्हें खनन कार्य का अधिकार प्रदत्त नही होगा ।

4) पंचायत राज से संबंधित सभी नियम व अधिनियम वर्णित क्षेत्र में यथावत लागू रहेंगें । पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को जो भी प्रदत्त शक्तियां है उनका उपयोग यथावत रहेगा । इसी प्रकार पंचायत राज संस्था द्वारा कराये जा रहे विकास कार्य एवं आबादी क्षेत्र में व उनके अधीन आने वाली भूमि क्षेत्र में नियमों के तहत सभी अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार रहेगा ।

5) वर्णित क्षेत्र में आने वाले समस्त बांध,तालाब,तलाई,ऐनीकट,सिंचाई परियोजना एवं जल संग्रहण योजनाएं यथावत रहते हुए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इनके प्रयोग व उपयोग करने का अधिकार यथावत रहेगा । इसी प्रकार नये बांध,तालाब,तलाई,ऐनीकट,आदि बनाये जाने के लिए भी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकार यथावत रहेगा ।

6) वर्णित क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थलों,मेलों के आयोजन,विश्राम स्थल,धर्मशाला जिनका उपयोग समय-समय पर आम जनता करती आ रही है,उन्हें उनका उपयोग करने का अधिकार यथावत रहेगा।धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना हेतु शुल्क नहीं

लगाया जायेगा और वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर सकेंगे ।

(7) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तहत सभी जलदाय व पेयजल योजना वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कार्यरत रहेगी और उन्हे प्रयोग करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगा । भविष्य मे भी पेयजल की किसी भी योजना को तय करने व स्थापित करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगें ।

(8) विद्युत- वर्णित क्षेत्र मे विद्युत की वर्तमान व्यवस्था जिनमें बिजली के खंभे, तार व विद्युत के व्यवसायिक व घरेलू उपयोग यथावत रहेगा और विद्युत व्यवस्था के तहत समस्त स्थापित प्रतिष्ठान व तंत्र यथावत रहेगें । भविष्य मे भी विद्युत मण्डल विभागको विद्युत की किसी भी परियोजना को लगाने या विस्तार व्यवस्था के कार्य का अधिकार रहेगा ।

(9) टेलीफोनः जयपुर दूरसंचार व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगी और उसके उपयोग व प्रयोग करने के अधिकार भी यथावत रहेगें । भविष्य मे नई योजना या विस्तार के लिए भी कार्य करने के अधिकार रहेगे ।

(10) शिक्षण संस्थाएंः सभी राजकीय व निजी शिक्षण संस्थाओ के उपयोग व प्रयोग के अधिकार यथावत रहेगे एवं उनके भवनो के उपयोग के अधिकार भी यथावत रहेगें । भविष्य मे भी संबंधित विभाग द्वारा नई शिक्षण संस्थाएं खोलने या नये भवन बनाने अथवा संस्था का विस्तार करने व शिक्षण संस्था संबंधित सभी कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सम्पादित करने के अधिकार रहेगें ।

(11) राजकीय कार्यालय- वर्णित क्षेत्र मे सभी राजकीय कार्यालय व भवन यथावत रहेगें व उनके उपयोग व प्रयोग के अधिकार वर्तमान व्यवस्थान के अनुसार यथावत रहेगें । भविष्य में किसी भी राजकीय कार्यालय को स्थापना व विस्तार करने या भवन बनाने के अधिकार भी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही यथावत रहेगें ।

(12) चिकित्सालय,पशुचिकित्सालयः वर्णित क्षेत्र मे सभी चिकित्सालय व पशु चिकित्सालय चाहे वो राजकीय चिकित्सालय हो या निजी चिकित्सालय उनके संचालित रहने व उनके प्रयोग करने के अधिकार यथावत रहेगें । भविष्य मे भी वर्तमान चिकित्सालय के विस्तार अथवा नये चिकित्सालय का निर्माण करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रहेगें ।

(13) सार्वजनिक संस्था व भवनः वर्णित क्षेत्र मे सभी सार्वजनिक स्थलो व भवनो के उपयोग व प्रयोग करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्थान के अनुसार यथावत रहेगें ।

(14) यातायातः वर्णित क्षेत्र मे वर्तमान व्यवस्था मे जो भी यातायात की सुविधा उपलब्ध है एवं प्रचलित है जिनमें ट्रको बसो,जीपो,निजी वाहनो व अन्य सभी प्रकार के वाहनो के आने जाने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगें ।

15) पर्यटन:

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए वर्णित क्षेत्र में जो भी परियोजनाएं निर्मित की गई है वह यथावत रहेगी और उनके प्रयोग के अधिकार भी यथावत रहेगें । भविष्य में परियोजना बनाने अथवा उनके उपयोग के अधिकार भी यथावत रहेगें ।

16) वर्णित क्षेत्र में वन्य जीवों से आत्म सुरक्षा के लिए वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार निवासियों को अधिकार प्रदत्त रहेगें । अतः वे इन नियमों व अधिनियमों के तहत अधिकारों का प्रयोग कर सकते है ।

17) शमशान व कब्रिस्तान:

वर्णित क्षेत्र में शमशान व कब्रिस्तान यथावत रहेगें व उनके उपयोग व प्रयोग करने के अधिकार भी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगें । भविष्य में नये शमशान व कब्रिस्तान बनाये जाने व वर्तमान शमशान व कब्रिस्तान का विस्तार करने के अधिकार नियमानुसार यथावत रहेगें ।

18) वर्णित क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के शादी-ब्याह व अन्य उत्सवों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आयोजित करने के अधिकार यथावत रहेगें । इन उत्सवों में वाद्य यंत्रो एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्तमान प्रचलित कानून कोलाहल नियंत्रण अधिनियम को ध्यान में रखकर किया जा सकेगा ।

19) वर्णित क्षेत्र में रहने वाले निवासी अपने पशु-मवेशियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चरागाह में चराई करा सकेगें । आरक्षित वन क्षेत्र के लिए चराई की अनुमति वन विभाग के सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी होगी ।

20) वर्णित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को आरक्षित वन क्षेत्र से जमीन पर पड़ी सूखी लकडियों को एकत्रित करने की अनुमति वन विभाग के सक्षम अधिकारी से वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लेनी होगी ।

21) वर्णित क्षेत्र में इस आदेश की तिथि के दिन आबादी क्षेत्र अथवा कृषि भूमि में निर्मित किये गये कच्चे-पक्के आवास यथावत रहेगें व उसके प्रयोग करने के अधिकार भी यथावत रहेगें । वहां रहने वाले व्यक्ति यदि अपनी निजी भूमि पर आवास हेतु प्रचलित कानून के तहत नये निर्माण या विस्तार करने की इच्छा रखते हो तो उन्हें इस बात का अधिकार होगा ।

22) वर्णित क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए पत्थर,बजरी,या अन्य निर्माण सामग्री को नियमानुसार निकाले जाने के अधिकार होगें परन्तु आरक्षित वन क्षेत्र से निर्माण सामग्री जैसे- पत्थर,बजरी,मिट्टी आदि निकालने के लिए वन विभाग से ही अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

23) वर्णित क्षेत्र एवं वन्य जीव अभयारण्य सीमा से 10 किलोमीटर की परिधि में निवास करने वाले व्यक्ति जिनको संदर्भ तिथि तक शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया गया है वह वन विभाग के सक्षम अधिकारी के यहां पंजीकृत करवाया जाये । भविष्य में नये शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व वन विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

24) वर्णित क्षेत्र में विभिन्न विभागो द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओ की क्रियान्विति यथावत रहेगी और भविष्य में भी इस क्षेत्र की कोई भी विकास की योजना प्रारम्भ होने की स्थिति में उन्हें भी सम्पादित किया जायेगा ।

25) उद्योगः

संदर्भ तिथि के दिन वर्णित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के निवास पर चल रहे कुटीर व छोटे उद्योग यथावत रहेगें और भविष्य में भी किसी भी कुटीर उद्योग को स्थापित करने के अधिकार यथावत रहेगें । परन्तु किसी भी बड़े उद्योग चाहे वह राजकीय उद्योग हो अथवा निजी उद्योग हो, ऐसे बड़े उद्योगो को स्थापित करने के संबंध में मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

26) निजी भूमि के आवासीय कार्य के लिए संपरिवर्तन करने के अधिकार यथावत रहेगें । इसी प्रकार राजकीय भूमि सिवाय चक/ चरागाह का विभिन्न सार्वजनिक उपयोग हेतु संपरिवर्तन, सार्वजनिक भवनों के लिए आवंटन करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगें ।

27) भूमि अवाप्तिः

सार्वजनिक उपयोग व विकास हेतु खातेदारी भूमि को राजस्व नियमों के तहत अवाप्त करने के अधिकार यथावत रहेगें । वर्णित क्षेत्र में यदि अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन हो तो वह भी नियमानुसार पूर्ण की जा सकेगी ।

जैसाकि प्रारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भी अधिकार इस आदेश के द्वारा निर्णित किये गये है वे सभी वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के मूल अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम,1991 के तहत ही प्रयोग में लाये जा सकते है । और वर्णित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वह सेंक्चुरी की अंतिम अधिसूचना जारी होने की स्थिति में इन प्रावधानों पर अमल करें । वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं वर्तमान व भविष्य में लागू अधिनियमों के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार

140

किसे रहेगा यह राज्य सरकार द्वारा धारा 26 (ए) के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना के समय तय किया जाना आवश्यक है ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हांलाकि क्लेम्स/आपत्तियो में संस्था व व्यक्तियों ने वर्णित क्षेत्र को प्रस्तावित सेंक्चुरी क्षेत्र से पृथक रखने बाबत प्रार्थना की है । परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक: 22.8.97 एवं वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 के संदर्भ में जिला कलक्टर द्वारा इस क्षेत्र को प्रस्तावित सेंक्चुरी से पृथक करने के अधिकार प्रदत्त नही है । अतः ऐसी आपत्तियों व क्लेम्स क्षेत्राधिकार में न होने के कारण उन पर विचार नही किया गया ।

यह आदेश आज दिनांक: 21.08.1998 को जारी किया गया ।

(विनोद जुत्शी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जयपुर